

न्यायालय:-सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं० 14,  
बाराबंकी।

मूलवाद संख्या-167/1995

CNR No. UPBB180000171995

मेवा लाल आदि बनाम महाराजदीन उर्फ घाघू आदि

**01.09.2022**

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभय पक्ष की ओर से सुलह की सम्भावना से इन्कार किया गया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति के मालिक काबिज हैं?
2. क्या दावा वादीगण अल्पमूल्यांकित है?
3. क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
4. क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
5. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
6. क्या प्रतिवादीगण धारा 35 अ जा०दी० के अन्तर्गत वादीगण से हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
7. क्या प्रतिवादीगण काउण्टर क्लेम में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति के मालिक काबिज हैं?
8. क्या काउण्टर क्लेम का मूल्यांकन कम किया गया है?
9. क्या काउण्टर क्लेम के बावत न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
10. क्या प्रतिवादीगण किसी अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा अन्य वाद बिन्दु विरचित होने पर बल दिया गया है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 दिनांक 17.09.2022 को पेश हो।

(अर्पिता साहू)

सिविल जज (जू०डि०),  
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी